संख्या-144/2024/आई/399/001-41-2-2023-CN-196117

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 16 मार्च, 2024

विषय:-अयोध्या के छः प्रवेश द्वारों में से जनपद गोण्डा की सीमा में पड़ने वाले दो प्रवेश द्वारों के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-9219/6-1-1/(1386)/2021-22, दिनांक 26.02.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अयोध्या के छः प्रवेश द्वारों में से जनपद गोण्डा की सीमा में पड़ने वाले दो प्रवेश द्वारों के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु (रू0 67,00,00,000.00 + 11,22,11,066.00) अर्थात रू0 78,22,11,066.00 (रूपये अठहत्तर करोड़ बाइस लाख ग्यारह हजार छाछठ रूपये मात्र) की संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अवशेष रू0 11,22,11,066.00 (रूपये ग्यारह करोड़ बाइस लाख ग्यारह हजार छाछठ मांत्र) अवमुक्त कराने का अनुरोध किया गया है।

2- जनपद अयोध्या के छः प्रवेश द्वारों हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 10000.00 लाख में से 6700.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 6700.00 लाख अवमुक्त की जा चुकी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

(रूपये लाख में)

क्र 0 सं0	वित्तीय वर्ष	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति	अवमुक्त धनराशि
1	2022-23	454/2022/आई/203604/001/14- Budget -2019 दिनांक 23.08.2022	6700.00	2500.00
2	2022-23	352/आई/296985/001-41-1002-523-2019-14- Budget -2019 , दिनांक 31.03.2023		2500.00
3	2023-24	555/2023/3814/41-2023-/001/ C.N.196117- 14- Budget -2019 , दिनांक 14.08.2023		645.19
4	2023-24	794/2023/5104/41-2023-/002/ C.N.196117- 14- Budget -2019 , दिनांक 02.11.2023		500.00
5	2023-24	973/2023/5582(1)/41-2023/003/C.N.196117-2019-14-Budget -2019 , दिनांक 24.12.2023		554.81
		कुल अवमुक्त धनराशि		**6700.00**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अयोध्या के छः प्रवेश द्वारों में से जनपद गोण्डा की सीमा में पड़ने वाले दो प्रवेश द्वारों के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु (रू0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

67,00,00,000.00 + 11,22,11,066.00) अर्थात रू0 78,22,11,066.00 (रूपये अठहत्तर करोड़ बाइस लाख ग्यारह हजार छाछठ रूपये मात्र) की संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अवशेष किश्त के रूप में धनराशि रू0 9,77,37,066.00 (रूपये नौ करोड़ सतहत्तर लाख सैतीस हजार छाछठ रूपये मात्र) को व्यय किये जाने हेतु **जिलाधिकारी**, **अयोध्या** के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(2) प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(8) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(10) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु चिन्हित भूमि प्रतिकर निर्गत किये जाने की दृष्टिगत से नगरी क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र में भूमि की प्रास्थिति के अनुसार ही देय प्रतिकर की वास्तविक गणना के सम्बन्ध में पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित अधिकारी स्वंय संतुष्ट होना सुनिश्चित करेंगे।

(12) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि की लागत को सम्मिलित करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(13) प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में भूमि गाटा संख्या/खातेदार की स्पष्ट स्थिति तथा भूमि की प्रकृतिके सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अयोध्या से विस्तृत रिपोर्ट तैयार करा कर तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रायोजना हेतु यदि नयी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अयोध्या/जिलाभूमि अध्याप्ति अधिकारी के माध्यम से अधिग्रहण के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के संगत शासनादेश की व्यवस्था अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

4- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश 454/2022/आई/203604/001/14-Budget -2019 दिनांक 23.08.2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,77,37,066.00 (रूपये नौ करोड़ सतहत्तर लाख सैतीस हजार छाछठ रूपये मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 044 **लेखा शीर्षक** 5452801044500 विभिन्न पर्यटन स्थलों हेतु भूमि का क्रय **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-7-719/दस-2023-24, दिनांक 16.03.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5. आयुक्त, अयोध्या/लखनऊ/ देवीपाटन/बस्ती मण्डल।
6. आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. जिलाधिकारी,अयोध्या/रायबरेली/सुल्तानपुर/लखनऊ/अम्बेडकरनगर/गोण्डा/बस्ती।
9. उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
10. सम्बन्धित उप निबन्धक, सम्बन्धित तहसील/जनपद।
11. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

12. श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 व 14 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
13. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
14. सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी।
15. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
16. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
17. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।